



2026:AHC:368

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

जनहित याचिका (पीआईएल) संख्या - 2934, वर्ष 2025

फ़ैयाज़ खान और अन्य
बनाम

.....याचिकाकर्ता(गण)

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता : प्रमोद कुमार सिन्हा
प्रतिवादी (यों) के अधिवक्ता : अरुण कुमार पाण्डेय, सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या.- 55

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय

1. याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार सिन्हा, राज्य की ओर से विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री एम.एन. मिश्रा तथा ग्राम सभा की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अरुण कुमार पांडेय को सुना गया।

2. यह जनहित याचिका निम्नलिखित राहतों के लिए दायर की गई है:-

i. परमादेश की प्रकृति का एक रिट आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 और 5 को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाए कि ग्राम रेवड़ी कलां, तहसील शाहबाद, जिला रामपुर की खतौनी में 'रास्ता' के रूप में दर्ज गाटा संख्या 708 क्षेत्रफल 0.035 की प्रकृति को, उस पर निर्माण कार्य करके या किसी अन्य प्रकार से, बदला न जाए।

ii. परमादेश की प्रकृति का एक रिट आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसमें प्रतिवादी संख्या 2 को यह आदेश दिया जाए कि वह दिनांक 05.08.2025 के अभ्यावेदन में याचिकाकर्ताओं द्वारा व्यक्त की गई शिकायतों पर विचार करे और इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर एक तर्कसंगत और स्पष्ट आदेश पारित करे।

iii. कोई अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी करे, जिसे यह माननीय न्यायालय मामले की परिस्थितियों के अंतर्गत उचित और सही समझे।

iv. वर्तमान रिट याचिका का खर्च याचिकाकर्ताओं के पक्ष में प्रदान किया जाए।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



3. इस न्यायालय ने राज्य और ग्राम सभा के विद्वान अधिवक्ता को निर्देश दिया कि वे निर्देश प्राप्त करें।
4. इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में, उप-विभागीय अधिकारी, शाहबाद, रामपुर द्वारा दिनांक 13.10.2025 को भेजे गये निर्देश को अभिलेख पर लिया जाता है।
5. राज्य की ओर से विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता, श्री एम.एन. मिश्रा को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को निर्देशों की एक प्रति प्रदान करें।
6. श्री एम.एन. मिश्रा, राज्य के विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने प्राप्त निर्देशों के आधार पर यह प्रस्तुत किया कि वाद संख्या 2934/2025 में दिनांक 13.12.2024 को पारित आदेश के अनुपालन में, विचाराधीन भूखंड पर से अतिक्रमण हटा दिया गया है। उन्होंने आगे यह भी प्रस्तुत किया कि वर्तमान में विचाराधीन भूखंड पर किसी भी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने यह प्रस्तुत किया कि संबंधित अधिकारियों द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि विचाराधीन भूखंड पर किसी भी भवन अथवा पार्क के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है।
7. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है और अभिलेख का अवलोकन किया है।
8. इस मामले से जुड़े विवाद को समझने के लिए, अधिकारियों/ अथवा उप-विभागीय मजिस्ट्रेट द्वारा अनुमोदित दिनांक 17.10.2025 की रिपोर्ट का अवलोकन करना प्रासंगिक होगा, जो इस प्रकार है :-

"महोदय,

संलग्न प्रार्थनापत्र फय्याज खां पुत्र अकीर हसन खां नि० ग्राम रेवड़ी कलां, तहसील-साहबाद, जिला-रामपुर द्वारा श्रीमान् जिलाधिकारी महोदय रामपुर को दिए प्रार्थना में ग्राम-रेवड़ी कलां की गाटा सं० 708 रकबा 0.035 हे० जोकि रास्ते के रूप में दर्ज है पर कोई निर्माण न किया जाए के संबंध में दिया गया है जिसकी स्थलीय जाँच आख्या निम्नवत् है।

उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि राजस्व ग्राम-रेवड़ी कलां, तहसील-शाहबाद, जिला रामपुर की गाटा सं० 708 रकबा 0.035 हे० जो कि राजस्व अभिलेखों में रास्ता दर्ज है। उक्त गाटा संख्या के आंशिक भाग 0.0154 हे० पर एहसान अली व अख्तर अली पुत्रगण शहजादे नि० ग्राम द्वारा अबैध रूप से दुकानें बना ली गई थी जिसको न्यायालय तहसीलदार शाहबाद के वाद संख्या

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



T202313590501507 के आदेश दिनांक **13/12/2024** के अनुपालन में **1905/2025** को अवैध रूप से बनी हुई दुकानों को राजस्व टीम व पुलिस बल की उपस्थिति में रास्ते की भूमि को अवैध कब्जा मुक्त करा दिया गया था। वर्तमान में स्थल पर रास्ते की भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है। ना ही रास्ते की भूमि पर कोई भवन या पार्क प्रस्तावित नहीं है। आख्या सादर सेवा में प्रेषित है।

महोदय,

लेखपाल आख्या सादर सेवा में प्रेषित है।

ह0 (रा0 नि0)

Seen.

ह0-(SDM)

17.10.25

9. अधिकारियों द्वारा भेजी गई, ऊपर उद्धृत दिनांक 17.10.2025 की रिपोर्ट का अवलोकन करने से यह पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि विचाराधीन भूखंड पर वर्तमान में कोई अतिक्रमण नहीं है, और न ही उस पर किसी भवन या पार्क के निर्माण का कोई प्रस्ताव है; अतः इस मामले में अब किसी और आदेश की आवश्यकता नहीं है।

10. अतः, प्रस्तुत जनहित याचिका का तदनुसार निस्तारण किया जाता है।

5 जनवरी 2026

नीतू

(न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"